

... 5 के ओर से जवाब
 ... नहीं हुआ है। पूर्व में कई अवसर
 दिये जा चुके हैं। प्रतिवादी सं. 4 व 5 का जवाब
 बन्द किया जाता है। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 व
 2 की ओर से पूर्व में इकनालाथा जवाब पेश हो
 चुका है। प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्य
 वाही के आदेश हो चुके हैं। पत्रावली वास्तो
 11-1-22 को साक्ष्य वाही में पेश हो।

1-1-22

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उम-प्रकरण में
 वकील वादी ने साक्ष्य हेतु शपथ पत्र जय प्रकाश
 का पेश किया। साक्ष्य ही जिरह की गई। जिरह
 पूर्ण हुई। प्रकरण में वकील प्रतिवादी जिरह प्रति
 वादी पेश नहीं कर सिधे बहस करना चाहते हैं
 पत्रावली जिरह प्रतिवादी पैरोकार सरकार में
 दि 9-2-22 को पेश हो।

जिरह सं. 1 व 2
 की फोटो ले कर पेश
 नहीं करके।
 245 W. P. 14

2-22

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उम-प्रकरण में
 पैरोकार सरकार जिरह पेश नहीं करना चाहते हैं
 प्रकरण में ~~बहस~~ बहस करने का निवेदन किया है।
 जिरह प्रतिवादी बन्द की जाती है। वकील वादी द्वारा
 आज ही बहस करने का निवेदन किया जाने पर वकील
 वादी की एक तरफा बहस सूनी गई। वाद वादी अर्थात्
 88 R-TA का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक
 से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया डिक्ली
 की प्रति तहसील धरनेगू को पावनार्थ भेजी जावे।
 पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो।

...